

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	<p>गिरधार लाल दत्त बनाम हनुमान जी० हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा स्थायी निषेधाज्ञा मु०न० 8/2017</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए</p>
17-8-23	<p>पत्रावली आज पेय हुयी। तडील वडी व वकुलाम उमम पक्षडारान अनुपास्वित। प्रकृष में डोई समाप्ति तक रुड-2 रु वार्-2 आवाज दिन्वामी जायी। तडील वडी व वकुलाम उमम पक्षडारान में से डोई हाजिर भदालत नही आये हैं। अतः तडील वडीपक्ष व वकुलाम उमम पक्षडारान डी अनुपास्वित मे दावा पत्र बाबत तडारमा व स्थायी निषेधाज्ञा (मन्वति धारा 53, 199 राजस्थान डाक्टररी आर्दिनियम) डी अरम खेरवी व अदम हजरी में रवारज किमा जाता हैं। पत्रावली केसल शुमार होऊ वाद तडील शाखिल दफ्तर में।</p> <p><i>(Signature)</i> 13/08/23 (दिलीप सिंह) दिलीप सिंह सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमधोपुर (सीकर)</p>	

